

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या1548 / 2015.....जिला.....जयपुर.....


उनवान – मैसर्स पंजाब इंजीनियर्स एण्ड फैब्रीकेटर्स, जी-755-756, रोड नं. 9 एफ 2, वीकेआई एरिया, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त जी, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
10 / 11 / 2015	<p style="text-align: center;"><u>कैम्प जयपुर</u> <u>एकलपीठ</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जी.एन.शर्मा एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित।</p> <p>यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, तृतीय, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2015 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रु0 4,76,936/- की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है।</p> <p>उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।</p> <p>विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 4,76,936/- की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।</p> <p>उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में सर्वेक्षण के समय लेखा पुस्तकों में दर्ज माल से अधिक माल पाये जाने का प्रश्न विवादित है। जिसमें अपीलार्थी का कथन है कि वास्तव में उनके यहां कोई अधिक माल नहीं पाया गया था बल्कि निर्माणधीन माल (Work in Progress) के मूल्यांकन का अन्तर है। चूंकि उक्त तथ्य अपीलीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। अतः अपीलार्थी</p>	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1548 / 2015 जिला जयपुर

उनवान – मैसर्स पंजाब इंजीनियर्स एण्ड फैब्रीकेटर्स, जी-755-756, रोड नं. 9 एफ 2, वीकेआई एरिया, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त जी, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10 / 11 / 2015	<p style="text-align: center;">— 2 —</p> <p>व्यवहारी के विरुद्ध कायम विवादित मांग रूपये 4,76,936/- की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की शर्त पर रोक लगाई जाती है। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p>7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।</p> <p>8. आदेश प्रसारित किया गया।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>(मदन लाल) सदस्य</p> </div>	